राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(24)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 मे अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरर्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बून्दी** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1183–1191 दिनांक 03.09.2024, 1202–12 दिनांक 06.09.24 के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी तह बून्दी के 59 कार्य हेतु राशि रूपयें 118 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा तालेडा तह. तालेडा के 18 कार्य हेतु राशि रूपयें 36 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नैनवॉ तह. नैनवॉ के 40 कार्य हेतु राशि रूपयें 80.00 लाख, **कुल विद्यालय भवनों के 117 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 234.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ चौतीस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

(i) विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।

(ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं हैं।

(vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।

(vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by B[illegible]gwat Singh
Designation :[illegible]oint[illegible]cretary To Government
Date: 2024.09.[illegible]6:48:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No : 10640796

Scanned with OKEN Scanner

(ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(xi) इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 175.50 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 58.50 लाख)

(xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगें।

(xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2025 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।

(xvi) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by B[...]gwat Singh
Designation : Joint [...]cretary To Government
Date: 2024.09.2[...]6:48:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10640796

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड बून्दी तह. व ब्लॉक बून्दी, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नैनवॉं तह. व ब्लॉक हिण्डोली एवं अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नैनवॉं तह. व ब्लॉक नैनवॉं भवन मरम्मत के प्रस्तावों में राजकीय कार्यालयों, अधिकारियों के आवासों, पटवार घर एवं पुलिस थाना आदि की मरम्मत करवाने हेतु राशि की मांग की गई है। उक्त सभी कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी तह. बून्दी, विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली तह. हिण्डोली, विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवॉं तह. नैनवॉं, विकास अधिकारी पंचायत समिति के0 पाटन तह. के0 पाटन/इन्द्रगढ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा आंगनवाडी/पंचायत घर मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नही आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने नही किया गया है।

   मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के.पाटन तह. के.पाटन एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा हिण्डोली तह. हिण्डोली विद्यालय भवनों कि मरम्मत प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नही आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. बून्दी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड हिण्डोली तह. हिण्डोली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड तालेडा तह. हिण्डोली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड नैनवॉं तह. नैनवॉं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड कापरेन तह. के. पाटन स्वास्थ्य भवनों कि मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नही आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. कोष कार्यालय, बून्दी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by B[illegible]wat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.09.2[illegible] [illegible]6:48:05 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)

प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांकः– 38 दिनांक :– 02/10/2024

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ **RAJKAJ ref no-** 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी के 59 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–107–02–01–21 से जारी की जाती है:

क्र.स.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा (तिथिवार) (एक दिवस में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफक्ट लाईबलिटी अवधि में है अथवा नही	कार्य का कार्यादेश पूर्व मे जारी किया जा चुका है अथवा नही हां/नही	रिस्टोरेशन हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टोरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोन/फोन नं.	विशेष विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाडी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बूंदी	राउप्रावि बलेदेवपुरा दोलाडा	–	–	राउप्रावि बलेदेवपुरा दोलाडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही	SMSA, BUNDI	SMSA, BUNDI	–
2	बूंदी	राउप्रावि बहादूरपुरा दोलाडा	–	–	राउप्रावि बहादूरपुरा दोलाडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
3	बूंदी	राउप्रावि सरस्वती खेडा दोलाडा	–	–	राउप्रावि सरस्वती खेडा दोलाडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
4	बूंदी	राउमावि रजतगृह	–	–	राउमावि रजतगृह	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
5	बूंदी	राउप्रावि रायता रामगंज	–	–	राउप्रावि रायता रामगंज	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
6	बूंदी	राप्रावि भंवरदा	–	–	राप्रावि भंवरदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
7	बूंदी	राउप्रावि उमरच	–	–	राउप्रावि उमरच	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
8	बूंदी	राउप्रावि भलस्वां	–	–	राउप्रावि भलस्वां	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
9	बूंदी	राउप्रावि अस्तोली	–	–	राउप्रावि अस्तोली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
10	बूंदी	राउप्रावि बंजारो का झोपडा	–	–	राउप्रावि बंजारो का झोपडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
11	बूंदी	राउप्रावि अधेड	–	–	राउप्रावि अधेड	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
12	बूंदी	राप्रावि संस्कृत इंद्रा कॉलोनी	–	–	राप्रावि संस्कृत इंद्रा कॉलोनी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
13	बूंदी	जिशिअ मा.शि. कार्यालय	–	–	जिशिअ मा.शि. कार्यालय	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
14	बूंदी	एडीपीसी कार्यालय समग्र शिक्षा	–	–	एडीपीसी कार्यालय समग्र शिक्षा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904862

Scanned with OKEN Scanner

15	बूंदी	राप्रावि भीलों का टपरा	–	–	राप्रावि भीलों का टपरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही	SMSA, BUNDI	SMSA, BUNDI	–
16	बूंदी	राउमावि मण्डावरा	–	–	राउमावि मण्डावरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
17	बूंदी	राउप्रावि गोपालनिवास	–	–	राउप्रावि गोपालनिवास	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
18	बूंदी	राप्रावि कुम्हारिया	–	–	राप्रावि कुम्हारिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
19	बूंदी	राउमावि गरड़दा	–	–	राउमावि गरड़दा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
20	बूंदी	राउप्रावि कंवड़िया	–	–	राउप्रावि कंवड़िया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
21	बूंदी	राउप्रावि गोलपुर	–	–	राउप्रावि गोलपुर	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
22	बूंदी	राउप्रावि पलका	–	–	राउप्रावि पलका	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
23	बूंदी	राप्रावि खमलोई	–	–	राप्रावि खमलोई	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
24	बूंदी	राउमावि मंगाल	–	–	राउमावि मंगाल	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
25	बूंदी	राउमावि गुढ़ानाथवतान	–	–	राउमावि गुढ़ानाथवतान	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
26	बूंदी	राप्रावि शिव कॉलोनी बून्दी	–	–	राप्रावि शिव कॉलोनी बून्दी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
27	बूंदी	राउप्रावि गुवाड़ी	–	–	राउप्रावि गुवाड़ी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
28	बूंदी	राउप्रावि अखेड़	–	–	राउप्रावि अखेड़	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
29	बूंदी	राप्रावि सामरबा	–	–	राप्रावि सामरबा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
30	बूंदी	राप्रावि केसरपुरा	–	–	राप्रावि केसरपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
31	बूंदी	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय खटकड़	–	–	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय खटकड़	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
32	बूंदी	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय माटून्दा	–	–	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय माटून्दा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
33	बूंदी	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय गाडीखाना बून्दी	–	–	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय गाडीखाना बून्दी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
34	बूंदी	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय बालचन्दपाडा बून्दी	–	–	महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय बालचन्दपाड़ा बून्दी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
35	बूंदी	राउमावि गादेगाल.	–	–	राउमावि गादेगाल.	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
36	बूंदी	राउप्रावि खानखेड़ा	–	–	राउप्रावि खानखेड़ा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
37	बूंदी	राप्रावि फाटकपार श्रीनगर	–	–	राप्रावि फाटकपार श्रीनगर	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
38	बूंदी	राउप्रावि लाखा की झौपड़िया	–	–	राउप्रावि लाखा की झौपडिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
39	बूंदी	राप्रावि भीम का खेड़ा	–	–	राप्रावि भीम का खेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
40	बूंदी	राउमावि माटून्दा	–	–	राउमावि माटून्दा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
41	बूंदी	राप्रावि श्योपुरिया का बावडी	–	–	राप्रावि श्योपुरिया का बावड़ी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
42	बूंदी	राप्रावि मोतीपुरा	–	–	राप्रावि मोतीपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
43	बूंदी	राप्रावि संजय कॉलोनी बून्दी	–	–	राप्रावि संजय कॉलोनी बून्दी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
44	बूंदी	राउप्रावि छापरदा	–	–	राउप्रावि छापरदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
45	बूंदी	राप्रावि नीम तलाई	–	–	राप्रावि नीम तलाई	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
46	बूंदी	राप्रावि बिशनपुरा	–	–	राप्रावि बिशनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
47	बूंदी	राप्रावि हाथीखेडा	–	–	राप्रावि हाथीखेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
48	बूंदी	राउप्रावि मोहनपुरा	–	–	राउप्रावि मोहनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
49	बूंदी	राप्रावि देवमना का टपरा	–	–	राप्रावि देवमना का टपरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–

Signature valid
Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904862

Scanned with OKEN Scanner

50	बूंदी	राप्रावि अनार जी की झौपड़िया	–	–	राप्रावि अनार जी की झौपड़िया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
51	बूंदी	राप्रावि गोपालपुरा	–	–	राप्रावि गोपालपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
52	बूंदी	राप्रावि कोंटी	–	–	राप्रावि कोंटी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
53	बूंदी	राप्रावि बारवास	–	–	राप्रावि बारवास	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
54	बूंदी	राप्रावि सौधिया की झौपड़िया	–	–	राप्रावि सौधिया की झौपड़िया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
55	बूंदी	राप्रावि कवरपुरा	–	–	राप्रावि कवरपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
56	बूंदी	राउप्रावि किशनपुरा	–	–	राउप्रावि किशनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
57	बूंदी	राप्रावि श्रवण की झौपड़िया	–	–	राप्रावि श्रवण की झौपड़िया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
58	बूंदी	राप्रावि पलकियां	–	–	राप्रावि पलकियां	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
59	बूंदी	राप्रावि बॉकी	–	–	राप्रावि बॉकी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			–
					योग				118.00						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यो हेतु न करें।

2 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि मे होने पर एसडीआरएफ नार्म्स अनुसार सहायता देय नही है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जाऐंगे।

3 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मे अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जने की दिनांक से 30 दिवस मे कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।

5 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।

6 प्रस्तावा में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्याधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

7 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

8 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एव नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, ततसम्बंधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

10 कार्य पूर्ण करवाये जाने पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णतः प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतुं प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेंगा।

12 उक्त कार्यों में कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए

13 स्वीकृत सभी 59 कार्यो के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरांत के रंगीन फोटोग्रफ इस कार्यालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

14 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांकः–सहायता/24/ 1516–39

दिनांक– 02/10/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904862

Scanned with OKEN Scanner

2 वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी / के0पाटन / तालेडा
4 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
5 तहसीलदार बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / रायथल / इन्द्रगढ / के0पाटन / तालेडा
6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी / के0पाटन / तालेडा
7 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

Signature valid
Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904862

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)

प्रशासनिक स्वीकृति

क्रमांकः– 39

दिनांक :– 02/10/2024

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/ **RAJKAJ ref no-** 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी के 18 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–107–02–01–21 से जारी की जाती है:

क्र.स.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पति का प्रकार: विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाडी भवन	क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा (तिथिवार) (एक दिवस में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफक्ट लाईबलिटी अवधि में है अथवा नही	कार्य का कार्यादेश पूर्व मे जारी किया जा चुका है अथवा नही हां/नही	रिस्टोरेशन हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टारशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोन/फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	तालेडा	राप्रावि दुल्हेपुरा लक्ष्मीपुरा			राप्रावि दुल्हेपुरा लक्ष्मीपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही	SMSA, BUNDI	SMSA, BUNDI	
2	तालेडा	राप्रावि जाल की झोपडिया			राप्रावि जाल की झोपडिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
3	तालेडा	राप्रावि सप्तीजा			राप्रावि सप्तीजा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
4	तालेडा	राउप्रावि विनायका			राउप्रावि विनायका	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
5	तालेडा	राउप्रावि छपावदा			राउप्रावि छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
6	तालेडा	राउप्रावि खुराड			राउप्रावि खुराड	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
7	तालेडा	राउप्रावि धोरेला			राउप्रावि धोरेला	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
8	तालेडा	राउप्रावि मोलाठ			राउप्रावि मोलाठ	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
9	तालेडा	राउप्रावि रघुनाथपुरा बरडा			राउप्रावि रघुनाथपुरा बरडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
10	तालेडा	राउमावि लीलेडा व्यासान			राउमावि लीलेडा व्यासान	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
11	तालेडा	राउप्रावि हाडो का पीपल्दा			राउप्रावि हाडो का पीपल्दा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
12	तालेडा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय तालेडा			मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय तालेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
13	तालेडा	राउप्रावि देवरिया			राउप्रावि देवरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
14	तालेडा	राप्रावि भीलों की कछालिया डोरा			राप्रावि भीलों की कछालिया ड	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
15	तालेडा	राउप्रावि कछालिया डोरा			राउप्रावि कछालिया डोरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
16	तालेडा	राप्रावि बंजारा बस्ती कैथूदा			राप्रावि बंजारा बस्ती कैथूदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
17	तालेडा	राप्रावि मोटूका			राप्रावि मोटूका	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
18	तालेडा	राउप्रावि सेन्दडी देहित			राउप्रावि सेन्दडी देहित	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
						योग			36.00						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:54:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904864

Scanned with OKEN Scanner

1 विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यो हेतु न करें।
2 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि मे होने पर एसडीआरएफ नार्म्स अनुसार सहायता देय नही है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जाऐंगे।
3 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मे अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जने की दिनांक से 30 दिवस मे कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
5 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एव प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
6 प्रस्तावा में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्याधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
7 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
8 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, ततसम्बंधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
10 कार्य पूर्ण करवाये जाने पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णताः प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तालेड़ा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतुं प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेंगा।
12 उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए
13 स्वीकृत सभी 18 कार्यो के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरांत के रंगीन फोटोग्रफ इस कार्यालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
14 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांकः-सहायता/24/1540-63
दिनांक- 02/10/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
4 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
5 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
7 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

Signature valid
Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:54:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904864

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)

प्रशासनिक स्वीकृति

कमांकः– 40 दिनांक :– 02/10/2024

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2024/RAJKAJ ref no- 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के 40 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–107–02–01–21 से जारी की जाती है:

क्र. स.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्षा (तिथिवार) (एक दिवस में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक बजट	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफक्ट लाईबलिटी अवधि में है अथवा नही	कार्य का कार्यादेश पूर्व मे जारी किया जा चुका है अथवा नही हां/नही	रिस्टोरेशन हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टोरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोन/फोन नं.	विशेष विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनबाडी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	नैनवां	एमजीएस बांसी	–	–	एमजीएस बांसी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
2	नैनवां	राउप्रावि सूंथली	–	–	राउप्रावि सूंथली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
3	नैनवां	राउप्रावि बीजलबा	–	–	राउप्रावि बीजलबा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
4	नैनवां	राप्रावि बंजारो की ढाणी ताकला	–	–	राप्रावि बंजारो की ढाणी ताकला	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
5	नैनवां	राउप्रावि जीवनपुरा	–	–	राउप्रावि जीवनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
6	नैनवां	राउप्रावि देवरिया	–	–	राउप्रावि देवरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
7	नैनवां	राउप्रावि सकतपुरा	–	–	राउप्रावि सकतपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
8	नैनवां	राप्रावि हिरापुर तलवास	–	–	राप्रावि हिरापुर तलवास	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
9	नैनवां	राउप्रावि हिरापुर बालापुरा	–	–	राउप्रावि हिरापुर बालापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
10	नैनवां	राप्रावि बंजारो की ढाणी गुढादेवजी	–	–	राप्रावि बंजारो की ढाणी गुढादेवजी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
11	नैनवां	राउप्रावि कलम्या	–	–	राउप्रावि कलम्या	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
12	नैनवां	राबाउप्रावि जरखोदा	–	–	राबाउप्रावि जरखोदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
13	नैनवां	राउप्रावि मुरडिया	–	–	राउप्रावि मुरडिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
14	नैनवां	राउमावि फूलेता	–	–	राउमावि फूलेता	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
15	नैनवां	राप्रावि बिशनपुरा	–	–	राप्रावि बिशनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00		नही	नही			
16	नैनवां	राप्रावि केशवपुरा	–	–	राप्रावि केशवपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00		नही	नही			

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:55:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904870

Scanned with OKEN Scanner

17	नैनवां	राउमावि भाणी	–	–	राउमावि भाणी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही	SMSA, BUNDI	SMSA, BUNDI	
18	नैनवां	राबाउमावि गंभीरा	–	–	राबाउमावि गंभीरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
19	नैनवां	राप्रावि बागेडा	–	–	राप्रावि बागेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
20	नैनवां	राउप्रावि संस्कृत कल्याणपुरा	–	–	राउप्रावि संस्कृत कल्याणपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
21	नैनवां	राउमावि रजलावता	–	–	राउमावि रजलावता	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
22	नैनवां	राउप्रावि बालापुरा	–	–	राउप्रावि बालापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
23	नैनवां	राउप्रावि गणेशपुरा	–	–	राउप्रावि गणेशपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
24	नैनवां	राउप्रावि गावडी	–	–	राउप्रावि गावडी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
25	नैनवां	राउमावि कोलाहेडा	–	–	राउमावि कोलाहेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
26	नैनवां	राउमावि बंसोली	–	–	राउमावि बंसोली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
27	नैनवां	राउप्रावि केशवनगर देई	–	–	राउप्रावि केशवनगर देई	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
28	नैनवां	राउप्रावि बैरवा बस्ती देई	–	–	राउप्रावि बैरवा बस्ती देई	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
29	नैनवां	राउमावि सादेडा	–	–	राउमावि सादेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
30	नैनवां	राउमावि गुढासदावर्तियां	–	–	राउमावि गुढासदावर्तियां	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
31	नैनवां	राप्रावि जगमुण्डा	–	–	राप्रावि जगमुण्डा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
32	नैनवां	राप्रावि बीजन्ता	–	–	राप्रावि बीजन्ता	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
33	नैनवां	राउप्रावि कांकरिया	–	–	राउप्रावि कांकरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
34	नैनवां	राउप्रावि मानपुरा	–	–	राउप्रावि मानपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
35	नैनवां	राउप्रावि संस्कृत फूट तालाब	–	–	राउप्रावि संस्कृत फूट तालाब	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
36	नैनवां	राउप्रावि बडी पडाप	–	–	राउप्रावि बडी पडाप	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
37	नैनवां	राप्रावि भवानीनगर वार्ड 17	–	–	राप्रावि भवानीनगर वार्ड 17	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
38	नैनवां	राप्रावि कंवरपुरा	–	–	राप्रावि कंवरपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
39	नैनवां	राप्रावि बंजारा बस्ती बिशनपुरा	–	–	राप्रावि बंजारा बस्ती बिशनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
40	नैनवां	राउप्रावि फतेहगंज	–	–	राउप्रावि फतेहगंज	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नही	नही			
									80.00						

उक्त सभी प्रस्तावो की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत कार्यो हेतु न करें।

2 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि मे होने पर एसडीआरएफ नार्म्स अनुसार सहायता देय नही है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जाऐंगे।

3 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मे अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जने की दिनांक से 30 दिवस मे कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।

5 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।

6 प्रस्तावा में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्याधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

7 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

8 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–नि[illegible] [illegible] निर्धारित [illegible] पालना सुनिश्चित की जावे।

10 कार्य पूर्ण करवाये जाने पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को मिजवाना सुनिश्[illegible]

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:55:53 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

12 उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए

13 स्वीकृत सभी 40 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं मरम्मत उपरांत के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

14 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांकः-सहायता/24/1564-87 दिनाकः- 02/10/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
4 मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी
5 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवा/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
7 अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी
8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.10.02 13:55:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10904870

Scanned with OKEN Scanner